

कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

सं.स्था(लेखापरीक्षा)/कोविड-19/21-22/सी-18

दिनांक 13.04.2021

कार्यालय आदेश

विषय : कोविड -19 के फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय- केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए टीककरण संबंधी ।

मुख्यालय पत्र सं. 186/सम्पदा/11-2020 दिनांक 09.04.2021 के सन्दर्भ में, उपरोक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जापन फाईल सं. 11013/9/2014-Estt.A.III दिनांक 06.04.2021 सूचना व आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

45 वर्ष या इससे उपर के सभी अधिकारी/कर्मचारी को परामर्श दिया जाता है कि वे टीक ले, ताकि कोविड-19 के फैलने से रोकने में प्रभावी साबित हो । उन्हें परामर्श दिया जाता है कि टीककरण के बाद भी कोविड के सामान्य नियमों यथा समय-समय पर हाथ धोना, फेश मास्क पहनना एवं आपसी दूरी बनाए रखना आदि का पालन करना जारी रखें ।

यह महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

हस्ता/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. सचिव, महालेखाकार(लेखापरीक्षा)बिहार, पटना
2. सभी समूह अधिकारी के सचिवालय
3. सभी नियंत्रक ए.एम.जी/अनुभाग के वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
5. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस., कार्यालयी वेबसाईट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ
6. सूचना पट्ट एवं सभी संस्थाओं के व्हाट्सएप समूह
7. कार्यालय आदेश फाईल

हस्ता/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)